बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्र संख्या : NHM/BHDS/61/2025-अनौ०परा०-82- / कृ० पटना, दिनांकः 10/07/ 2025

प्रेषक,

कल्पना कुमारी
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।
द्वारा : **वित्त विभाग, बिहार, पटना।**(+)

(+) अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

विषय : **केन्द्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय बाँस मिशन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 से 2026–27 तक कुल दो वर्षो के लिए कुल 316.00 लाख (तीन करोड़ सोलह लाख) रूपये के योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति तथा इसके अधीन वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल 196.240 लाख (एक करोड़ छियानवे लाख चौबीस हजार) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश :– **स्वीकृत।**

केन्द्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय बाँस मिशन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 से 2026–27 तक कुल दो वर्षो के लिए कुल 316.00 लाख (तीन करोड़ सोलह लाख) रूपये के योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति तथा इसके अधीन वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल 196.240 लाख (एक करोड़ छियानवे लाख चौबीस हजार) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कृषोन्नत्ति योजना के तहत राष्ट्रीय बाँस मिशन (National Bamboo Mission) की योजना ली गयी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों के खेत में बाँस की खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। इससे वैसी भूमि का उपयोग हो पाएगा जहाँ अन्य कोई फसल नहीं हो पाता है एवं इससे कृषकों की आय में वृद्धि होगी। विगत वर्षो में इस योजना का कार्यान्वयन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, द्वारा कराया जा रहा था। सम्यक् विचारोपरांत वन क्षेत्र से बाहर के कृषि भूमि पर बाँस रोपण का कार्य उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार सरकार से कराने का निर्णय कृषि विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या 3941 दिनांक 17.10.2024 द्वारा लिया गया है।

राष्ट्रीय बाँस मिशन योजना का कार्यान्वयन राज्य के 27 जिलों यथा– अररिया, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, गोपालगंज, जमुई, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पूर्णियाँ, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शिवहर, शेखपुरा, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल, वैशाली एवं प० चम्पारण में संबंधित सहायक निदेशक, उद्यान के द्वारा संलग्न कार्य योजना जो Annexure–I, II एवं III के रूप में संलग्न है, के अनुरूप किया जायेगा।

3. इस योजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2025–26 से 2026–27 तक कुल दो वर्षों में किया जायेगा। भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुरूप प्रथम वर्ष अनुदान राशि का 60 प्रतिशत तथा द्वितीय वर्ष अनुदान राशि का 40 प्रतिशत देने का प्रावधान है।

इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में केन्द्रांश 117.7440 लाख (एक करोड़ सत्रह लाख चौहत्तर हजार चार सौ) रूपये एवं समानुपातिक राज्यांश 78.4960 लाख (अठहत्तर लाख उनचास हजार छः सौ) कुल 196.240 लाख (एक करोड़ छियानवे लाख चौबीस हजार) मात्र का प्रावधान है।

वित्तीय वर्ष 2026–27 में केन्द्रांश रू० 71.856 लाख (इकहत्तर लाख पचासी हजार छः सौ) रूपये एवं राज्यांश रू० 47.904 लाख (सैंतालीस लाख नब्बे हजार चार सौ) रूपये, कुल राशि रू० 119.760 लाख (एक करोड़ उन्नीस लाख छिहत्तर हजार) रूपये की आवश्यकता होगी। योजना का विस्तृत विवरण अनुसूची– I एवं II के रूप में संलग्न है।

4. यह एक केन्द्र प्रायोजित – राष्ट्रीय बाँस मिशन योजना है। इसके अन्तर्गत निम्नांकित घटकों का कार्यान्वयन किया जाना है :–

क. **सार्वजनिक क्षेत्र में उच्च घनत्व बांस वृक्षारोपण (100% सब्सिडी)**

इस घटक का कार्यान्वयन राज्य के 27 जिलों यथा – अररिया, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, गोपालगंज, जमुई, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पूर्णियाँ, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शिवहर, शेखपुरा, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल, वैशाली एवं प० चम्पारण के प्रखण्ड उद्यान नर्सरियों/प्रोजनीबाग नर्सरियों/कृषि फॉर्म में प्रत्यक्षण प्लॉट का निर्माण सहायक निदेशक उद्यान द्वारा किया जायेगा। High Density Bamboo Plantation/प्रत्यक्षण प्लॉट पर MIDH की मार्गदर्शिका सदृश्य इकाई लागत कुल 1.20 लाख रूपये प्रति हे0 निर्धारित की गई है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में High Density Bamboo Plantation/प्रत्यक्षण प्लॉट पर 0.72 लाख रूपये प्रति हे० का व्यय किया जायेगा। इस घटक अन्तर्गत शत्–प्रतिशत अनुदान देय है।

ख. **निजी क्षेत्र में उच्च घनत्व बांस रोपण (50% सब्सिडी)**

इस घटक का कार्यान्वयन राज्य के 27 जिलों यथा – अररिया, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, गोपालगंज, जमुई, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पूर्णियाँ, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शिवहर, शेखपुरा, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल, वैशाली एवं प० चम्पारण में किया जायेगा। इस घटक हेतु MIDH की मार्गदर्शिका के सदृश्य इकाई लागत 1.20 लाख रूपये प्रति हे0 निर्धारित की गई है। इसके तहत किसानों को न्यूनतम 0.04 हे० (10 डी०) से अधिकतम 0.2 हे० (50 डी०) रकवा में बाँस की खेती हेतु MIDH की मार्गदर्शिका के आलोक में प्रति हे० 0.36 लाख (छत्तीस हजार) रूपये अनुदान वित्तीय वर्ष 2025–26 में दिया जायेगा। इस घटक अन्तर्गत 50 प्रतिशत अनुदान देय है।

ग. **किसान के खेत पर सीमांत वृक्षारोपण (संख्या में) 50% सब्सिडी (लागत मानदंड – 300 रूपये/पौधा और सब्सिडी– 150 रूपये/पौधा)**

इस घटक का कार्यान्वयन राज्य के 27 जिलों यथा – अररिया, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, गोपालगंज, जमुई, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पूर्णियाँ, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शिवहर, शेखपुरा, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल, वैशाली एवं प० चम्पारण में किया जायेगा।

इस घटक अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में कृषकों के जमीन पर Boundary Plantation के रूप में बाँस की खेती हेतु प्रति किसान कम से कम 10 बांस पौध देने का प्रावधान है। इस घटक हेतु MIDH की गार्गदर्शिका के सदृश्य इकाई लागत 300 रूपये प्रति पौध निर्धारित की गई है। इस घटक अन्तर्गत 50 प्रतिशत अनुदान यथा 150 रूपये प्रति पौधा देय है।

टिशु कल्चर बाँस पौध का निदेशक उद्यान द्वारा बिहार वित्तीय नियमावली के आलोक में EOI (Expression of interest) /Tender के माध्यम से दर का निर्धारण/आपूर्तिकर्त्ता का चयन किया जायेगा। L1 दर पर जिलावार आपूर्तिकर्त्ताओं का निर्धारण करते हुए सभी संबंधित जिलों के सहायक निदेशक उद्यान के माध्यम से लाभुक को पौध उपलब्ध कराया जायेगा।

घ. **क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण**

इस घटक अन्तर्गत योजना से संबंधित क्षेत्रीय प्रसार कर्मियों (प्रक्षेत्र प्रभारी/प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी/कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार) का प्रशिक्षण आत्मा/बामेती, पटना द्वारा आयोजित किया जायेगा। निर्दिष्ट राशि अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में व्यय करने का प्रावधान है। प्रशिक्षण हेतु राशि का आवंटन संबंधित जिलों को Annexure-I के अनुसार किया जायेगा।

च. **किसानों/कारीगरों का प्रशिक्षण**

इस घटक के अन्तर्गत योजना से संबंधित लाभुक कृषक एवं बाँस से संबंधित कलाकृति बनाने वाले कारीगर/उद्यमियों को आत्मा/बामेती, पटना द्वारा प्रशिक्षण दिये जाने का प्रावधान है। प्रशिक्षण हेतु राशि का आवंटन संबंधित जिलों को Annexure-I के अनुसार किया जायेगा।

छ. **परियोजना प्रबंधन लागत**

इस मद का उपयोग वित्तीय वर्ष 2025–26 में योजना के प्रभावी कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु व्यय किया जायेगा। इस मद की राशि किसी भी परिस्थिति में मानव बल पर व्यय नहीं किया जायेगा।

5. भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के पत्रांक–F.No. 03/03/2025-KY दिनांक–01.01.2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में कृषोन्नति योजना अंतर्गत राष्ट्रीय बाँस मिशन केन्द्रांश मद में 100.00 लाख रूपये का उद्व्यय के आलोक में मैचिंग राज्यांश 67.00 लाख रूपये कुल 167.00 लाख रूपये का 125 प्रतिशत 209.00 लाख रूपये में से Proposed amount 208.00 लाख रूपये की कार्य योजना दिनांक 30.12.2024 को SLSC की बैठक में स्वीकृति प्राप्त है। परंतु भारत सरकार के पत्रांक 03/03/2025-KY दिनांक–17.01.2025 द्वारा कुल 202.70 लाख रूपये (केन्द्रांश 121.62 लाख रूपये एवं राज्यांश 81.08 लाख रूपये) मात्र स्वीकृति प्राप्त है।

6. योजना कार्य प्रारंभ करने के पूर्व तथा पश्चात् कार्य स्थलों की दो अलग–अलग जियोटैग फोटोग्राफ एवं स्थल जाँच प्रमाण–पत्र संबंधित जिला के जिला उद्यान कार्यालय में संधारित किया जायेगा। भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन ससमय विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

7. योजना क्रियान्वयन का नियमित पर्यवेक्षण निदेशक उद्यान, बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा तथा संयुक्त निदेशक उद्यान, बिहार, पटना द्वारा योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण किया जायेगा।

8. इस योजना में प्रथम वर्ष में किये गये कार्यो की गुणवत्ता एवं भौतिक प्रगति की प्रविष्टि MIS पोर्टल में होने तथा क्रियान्वयन संबंधी प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के उपरांत ही सक्षम प्राधिकार द्वारा अगली किस्त निर्गत की जायेगी।

9. जनसाधारण की जानकारी एवं पारदर्शिता के निमित योजना की विवरणी निर्धारित माप दण्ड के अनुसार इसे कार्य स्थल पर सूचना पट्ट में प्रदर्शित किया जायेगा।

10. प्रावधानित बजट के आलोक में सामान्य जाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए क्रमशः 83.903 प्रतिशत, 15.00 प्रतिशत एवं 1.097 प्रतिशत व्यय सुनिश्चित किया जायेगा। यह भी प्रयास किया जायेगा कि लाभुक में 30 (तीस) प्रतिशत महिला कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित हो।

11. निदेशक उद्यान, उद्यान निदेशालय, बिहार, पटना केन्द्रांश एवं समानुपातिक राज्यांश की आवंटित राशि को सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना के CFMS 2.0 लिंक्ड SNA SPARSH में संबंधित जिलों को अधिसीमा निर्धारित करेंगे जिसे अररिया, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, गोपालगंज, जमुई, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पूर्णियाँ, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शिवहर, शेखपुरा, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल, वैशाली एवं प० चम्पारण द्वारा अनुसूची–III के आलोक में SNA Sparsh के माध्यम से राशि की निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

12. योजनान्तर्गत आय–व्यय की लेखा संधारण में PFMS के EAT Module का उपयोग किया जायेगा।

13. राशि व्यय के पश्चात् उसका उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश निर्गत की तिथि से 18 माह के भीतर महालेखाकार (लेखा एवं हक०), बिहार, पटना एवं कृषि विभाग को निदेशक उद्यान, बिहार, पटना द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। महालेखाकार, बिहार, पटना को अंकेक्षण का अधिकार होगा।

14. इस राशि का आवंटन, बिहार कोषागार संहिता में उल्लिखित निकासी एवं व्यय के सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

15. राष्ट्रीय बाँस मिशन योजना के क्रियान्वयन में प्राईवेट एवं पब्लिक सेक्टर में कुल 492 हे० रकवा में बाँस लगाया जाना है जिसमें प्रति हे० 10 मानव दिवस रोजगार सृजन होने की संभावना है। इस प्रकार कुल 4920 मानव दिवस रोजगार सृजन संभावित है।

16. योजना कार्यान्वयन के क्रम में प्रशासी विभाग द्वारा वित्तीय सीमा के अधीन यथासंभव परिवर्तन किया जा सकेगा।

17. योजना के क्रियान्वयन में यदि किसी प्रकार की अनियमितता होती है, तो क्रियान्वित करने वाले पदाधिकारियों की पूर्ण जिम्मेवारी होगी।

18. योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी निदेशक उद्यान, बिहार, पटना होंगे।

19. वित्त विभाग, बिहार के पत्रांक 2561 दिनांक 12.04.1998 का अनुपालन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

20. इस राशि की निकासी निम्नांकित मुख्य शीर्ष/उप शीर्ष के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रावधानित राशि में से की जायेगी :–

(राशि लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
केन्द्रांश		
मुख्यशीर्ष 2401– फसल कृषि कर्म, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 119–बागवानी तथा वनस्पति फसलें, उपशीर्ष 0226–राष्ट्रीय बांस मिशन (कृषोन्नति योजना) विपत्र कोड –01–2401001190226, विषय शीर्ष –0226–31– 06–सहायता अनुदान–गैर वेतन पी०एफ०एम०एस० कोड–4138	83.90	98.7907
मुख्यशीर्ष 2401– फसल कृषि कर्म, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष 0262–राष्ट्रीय बांस मिशन (कृषोन्नति योजना) विपत्र कोड –01–2401007890262, विषय शीर्ष 0262–31– 06–सहायता अनुदान एवं वस्तुगत शीर्ष–06–सहायक अनुदान–गैर वेतन पी०एफ०एम०एस० कोड–4138	15.00	17.6616
मुख्यशीर्ष 2401– फसल कृषि कर्म, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 796– जनजातिय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष 0275– राष्ट्रीय बांस मिशन (कृषोन्नति योजना) विपत्र कोड – 01–2401007960275, विषय शीर्ष 0275–31– 06–सहायता अनुदान–गैर वेतन पी०एफ०एम०एस० कोड–4138	1.10	1.2917
योग	**100.00**	**117.7440**
राज्यांश		
मुख्यशीर्ष 2401– फसल कृषि कर्म, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 119–बागवानी तथा वनस्पति फसलें, उपशीर्ष का नाम एवं विपत्र कोड संख्या 0326–राष्ट्रीय बांस मिशन (कृषोन्नति योजना) विपत्र कोड –01–2401001190326, विषय शीर्ष 0326–31–06–सहायता अनुदान एवं वस्तुगत शीर्ष–06–सहायक अनुदान–गैर वेतन पी०एफ०एम०एस० कोड–4138	14.27	65.8605
मुख्यशीर्ष 2401– फसल कृषि कर्म, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष 0353–राष्ट्रीय बांस मिशन (कृषोन्नति योजना) राज्यांश विपत्र कोड – 01–2401007890353, विषय शीर्ष 0353–31–06–सहायता अनुदान–गैर वेतन पी०एफ०एम०एस० कोड–4138	10.00	11.7744
मुख्यशीर्ष 2401– फसल कृषि कर्म, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 796–जनजातिय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष 0375–राष्ट्रीय बांस मिशन (कृषोन्नति योजना) विपत्र कोड – 01–2401007960375, विषय शीर्ष 0375–31– 06–सहायता अनुदान –गैर वेतन पी०एफ०एम०एस० कोड–4138	0.73	0.8611
योग	**25.00**	**78.4960**
कुल योग	**125.00**	**196.2400**

नोटः–उपरोक्त केन्द्रांश एवं राज्यांश मद संबंधित बजट शीर्ष के सामान्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में उपबंधित राशि प्रस्तावित राशि से कम है। तत्काल उपलब्ध राशि का आवंटन, निकासी एवं व्यय किया जायेगा। शेष राशि का प्रथम/अगले अनुपूरक आगमन में बजट उपबंध प्राप्ति पश्चात् ही आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा।

21. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888/वि० दिनांक–03.12.2024 तथा पत्रांक–201 दिनांक 13.03.2025 में निहित प्रावधान के आलोक में योजना प्रस्ताव पर दिनांक–04.07.2025 को प्रधान सचिव, कृषि की अध्यक्षता में आयोजित विभागीय स्थायी वित्त समिति की अनुशंसा प्राप्त है। योजना कार्यान्वयन एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर प्रधान सचिव, कृषि का अनुमोदन संचिका संख्या–NHM/BHDS/61/2025 के पृष्ठ संख्या–24/टि० पर दिनांक–09.07.2024 को प्राप्त है।

22. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि०(2) दिनांक–05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

23. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या –NHM/BHDS/61/2025 के पृष्ठ संख्या–26/टि० पर दिनांक–09.07.2024 को प्राप्त है, जिसका डायरी संख्या–529 दिनांक 09.07.2024 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(कल्पना कुमारी)
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : NHM/BHDS/61/2025-पी०पी०एम०-82- /कृ० पटना, दिनांकः 10/07/ 2025

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : NHM/BHDS/61/2025-पी०पी०एम०-82- /कृ० पटना, दिनांकः 10/07/ 2025

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/मंत्रीमण्डल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : NHM/BHDS/61/2025-पी०पी०एम०-82- /कृ० पटना, दिनांकः 10/07/ 2025

प्रतिलिपि : संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : NHM/BHDS/61/2025-पी०पी०एम०-82- /कृ० पटना, दिनांकः 10/07/ 2025

प्रतिलिपि : सचिवालय कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : NHM/BHDS/61/2025-पी०पी०एम०-82- /कृ० पटना, दिनांकः 10/07/ 2025

प्रतिलिपि : माननीय कृषि मंत्री के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/मिशन निदेशक, राज्य बागवानी मिशन, बिहार, पटना/अपर कृषि निदेशक, प्रसार, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय संयुक्त निदेशक/संबंधित उप निदेशक/संबंधित, सहायक निदेशक उद्यान/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : NHM/BHDS/61/2025-अ०वि०उ०-82- /कृ० पटना, दिनांकः 10/07/2025

प्रतिलिपि : उप निदेशक (शष्य) सूचना, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार पदाधिकारी को ई–मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

Annexure - I

AAP under National Bamboo Mission FY 2025-26 (1st Year)

Sl. No.	District Name	High Density Bamboo Plantation (Public Sector) (100% subsidy) Rs. 1.20 Lakh per ha. 1st yr 60%		High Density Bamboo Plantation (Private Sector) (50% subsidy) Rs. 1.20 Lakh per ha. 1st yr – 60%		Boundrary Plantation on farmer's field in no. Subsidy@50% @Rs. 300/plant(Subsidy- Rs. 150/plant) 1st yr – 60%		Training of field functionaries	Training of Farmers/ Artisans	Project Management Cost	Total Financial Target (In lakh)
		Phy (Ha.)	Financial Target (in lakh)	Phy (Ha.)	Financial Target (in lakh)	Phy (No.)	Financial Target (in lakh)	Financial Target (in lakh)	Financial Target (in lakh)	Financial Target (in lakh)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ARARIA	0.25	0.180	17	6.12	520	0.468	0.070	0.35	0.17	7.358
2	BANKA	0.25	0.180	16	5.76	520	0.468	0.075	0.35	0.17	7.003
3	BEGUSARAI	0.25	0.180	17	6.12	520	0.468	0.075	0.35	0.17	7.363
4	BHAGALPUR	0.25	0.180	17	6.12	520	0.468	0.075	0.40	0.17	7.413
5	DARBHANGA	0.25	0.180	17	6.12	520	0.468	0.075	0.40	0.17	7.413
6	E. CHAMPARAN	0.30	0.216	17	6.12	520	0.468	0.075	0.40	0.17	7.449
7	GOPALGANJ	0.25	0.180	16	5.76	520	0.468	0.075	0.35	0.17	7.003
8	JAMUI	0.25	0.180	16	5.76	520	0.468	0.075	0.40	0.17	7.053
9	KATIHAR	0.25	0.180	17	6.12	520	0.468	0.075	0.35	0.17	7.363
10	KHAGARIA	0.25	0.180	16	5.76	520	0.468	0.075	0.35	0.17	7.003
11	KISHANGANJ	0.25	0.180	16	5.76	510	0.459	0.075	0.35	0.17	6.994
12	LAKHISARAI	0.30	0.216	17	6.12	520	0.468	0.075	0.40	0.18	7.459
13	MADHEPURA	0.25	0.180	17	6.12	520	0.468	0.075	0.35	0.17	7.363
14	MADHUBANI	0.25	0.180	17	6.12	520	0.468	0.075	0.35	0.17	7.363
15	MUNGER	0.25	0.180	16	5.76	520	0.468	0.070	0.35	0.17	6.998
16	MUZAFFARPUR	0.30	0.216	17	6.12	520	0.468	0.075	0.40	0.17	7.449
17	PURNIA	0.30	0.216	17	6.12	520	0.468	0.075	0.35	0.17	7.399
18	SAHARSA	0.25	0.180	17	6.12	520	0.468	0.075	0.35	0.17	7.363
19	SAMASTIPUR	0.25	0.180	17	6.12	520	0.468	0.075	0.40	0.17	7.413
20	SARAN	0.25	0.180	17	6.12	520	0.468	0.075	0.35	0.17	7.363
21	SEOHAR	0.25	0.180	16	5.76	510	0.459	0.070	0.35	0.17	6.989
22	SHEIKHPURA	0.25	0.180	17	6.12	520	0.468	0.075	0.40	0.17	7.413
23	SITAMARHI	0.25	0.180	17	6.12	520	0.468	0.075	0.40	0.17	7.413
24	SIWAN	0.25	0.180	16	5.76	510	0.459	0.070	0.35	0.17	6.989
25	SUPAUL	0.25	0.180	16	5.76	510	0.459	0.070	0.35	0.17	6.989
26	VAISHALI	0.25	0.180	17	6.12	520	0.468	0.075	0.40	0.17	7.413
27	W. CHAMPARAN	0.30	0.216	17	6.12	520	0.468	0.075	0.40	0.17	7.449
Total :		7.00	5.040	450.00	162.00	14000	12.600	2.000	10.00	4.60	196.240

विजंय कुमार पंडित

राधा रमण

Annexure - II

AAP under National Bamboo Mission FY 2026-27 (2nd Year)

Sl. No.	District Name	High Density Bamboo Plantation (Public Sector) 100% subsidy 2nd yr - 40%		High Density Bamboo Plantation (Private Sector) (50% subsidy) 2nd yr - 40%		Boundrary Plantation on faremr's field in no. Subsidy@50% @Rs. 300/plant. 2nd yr - 40%		Training of field functionaries	Training of Farmers/ Artisans	Project Management Cost	Total Financial Target (In lakh)
		Phy (Ha.)	Total Financial Target (in lakh)	Phy (Ha.)	Total Financial Target (in lakh)	Phy (No.)	Total Financial Target (in lakh)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ARARIA	0.25	0.120	17	4.080	520	0.312	-	-	-	4.512
2	BANKA	0.25	0.120	16	3.840	520	0.312	-	-	-	4.272
3	BEGUSARAI	0.25	0.120	17	4.080	520	0.312	-	-	-	4.512
4	BHAGALPUR	0.25	0.120	17	4.080	520	0.312	-	-	-	4.512
5	DARBHANGA	0.25	0.120	17	4.080	520	0.312	-	-	-	4.512
6	E. CHAMPARAN	0.30	0.144	17	4.080	520	0.312	-	-	-	4.536
7	GOPALGANJ	0.25	0.120	16	3.840	520	0.312	-	-	-	4.272
8	JAMUI	0.25	0.120	16	3.840	520	0.312	-	-	-	4.272
9	KATIHAR	0.25	0.120	17	4.080	520	0.312	-	-	-	4.512
10	KHAGARIA	0.25	0.120	16	3.840	520	0.312	-	-	-	4.272
11	KISHANGANJ	0.25	0.120	16	3.840	510	0.306	-	-	-	4.266
12	LAKHISARAI	0.30	0.144	17	4.080	520	0.312	-	-	-	4.536
13	MADHEPURA	0.25	0.120	17	4.080	520	0.312	-	-	-	4.512
14	MADHUBANI	0.25	0.120	17	4.080	520	0.312	-	-	-	4.512
15	MUNGER	0.25	0.120	16	3.840	520	0.312	-	-	-	4.272
16	MUZAFFARPUR	0.30	0.144	17	4.080	520	0.312	-	-	-	4.536
17	PURNIA	0.30	0.144	17	4.080	520	0.312	-	-	-	4.536
18	SAHARSA	0.25	0.120	17	4.080	520	0.312	-	-	-	4.512
19	SAMASTIPUR	0.25	0.120	17	4.080	520	0.312	-	-	-	4.512
20	SARAN	0.25	0.120	17	4.080	520	0.312	-	-	-	4.512
21	SEOHAR	0.25	0.120	16	3.840	510	0.306	-	-	-	4.266
22	SHEIKHPURA	0.25	0.120	17	4.080	520	0.312	-	-	-	4.512
23	SITAMARHI	0.25	0.120	17	4.080	520	0.312	-	-	-	4.512
24	SIWAN	0.25	0.120	16	3.840	510	0.306	-	-	-	4.266
25	SUPAUL	0.25	0.120	16	3.840	510	0.306	-	-	-	4.266
26	VAISHALI	0.25	0.120	17	4.080	520	0.312	-	-	-	4.512
27	W. CHAMPARAN	0.30	0.144	17	4.080	520	0.312	-	-	-	4.536
Total :		7.00	3.360	450	108.000	14000	8.400	0.00	0.00	0.00	119.760

विजय कुमार पंडित   राधा रमण

Annexure-III

Category wise subsidy details under National Bamboo Mission FY 2025-26 (1st Year)

Sl. No.	DDO Name	Total	Central	State	Gen		SC		ST	
					Central	State	Central	State	Central	State
1	Assistant Director Horticulture, ARARIA	7.3580	4.4148	2.9432	3.7041	2.4694	0.6622	0.4415	0.0484	0.0323
2	Assistant Director Horticulture, BANKA	7.0030	4.2018	2.8012	3.5254	2.3503	0.6303	0.4202	0.0461	0.0307
3	Assistant Director Horticulture, BEGUSARAI	7.3630	4.4178	2.9452	3.7067	2.4711	0.6627	0.4418	0.0485	0.0323
4	Assistant Director Horticulture, BHAGALPUR	7.4130	4.4478	2.9652	3.7318	2.4879	0.6672	0.4448	0.0488	0.0325
5	Assistant Director Horticulture, DARBHANGA	7.4130	4.4478	2.9652	3.7318	2.4879	0.6672	0.4448	0.0488	0.0325
6	Assistant Director Horticulture, E. CHAMPARAN	7.4490	4.4694	2.9796	3.7500	2.5000	0.6704	0.4469	0.0490	0.0327
7	Assistant Director Horticulture, GOPALGANJ	7.0030	4.2018	2.8012	3.5254	2.3503	0.6303	0.4202	0.0461	0.0307
8	Assistant Director Horticulture, JAMUI	7.0530	4.2318	2.8212	3.5506	2.3671	0.6348	0.4232	0.0464	0.0309
9	Assistant Director Horticulture, KATIHAR	7.3630	4.4178	2.9452	3.7067	2.4711	0.6627	0.4418	0.0485	0.0323
10	Assistant Director Horticulture, KHAGARIA	7.0030	4.2018	2.8012	3.5254	2.3503	0.6303	0.4202	0.0461	0.0307
11	Assistant Director Horticulture, KISHANGANJ	6.9940	4.1964	2.7976	3.5209	2.3473	0.6295	0.4196	0.0460	0.0307
12	Assistant Director Horticulture, LAKHISARAI	7.4590	4.4754	2.9836	3.7550	2.5033	0.6713	0.4475	0.0491	0.0327
13	Assistant Director Horticulture, MADHEPURA	7.3630	4.4178	2.9452	3.7067	2.4711	0.6627	0.4418	0.0485	0.0323
14	Assistant Director Horticulture, MADHUBANI	7.3630	4.4178	2.9452	3.7067	2.4711	0.6627	0.4418	0.0485	0.0323
15	Assistant Director Horticulture, MUNGER	6.9980	4.1988	2.7992	3.5229	2.3486	0.6298	0.4199	0.0461	0.0307
16	Assistant Director Horticulture, MUZAFFARPUR	7.4490	4.4694	2.9796	3.7500	2.5000	0.6704	0.4469	0.0490	0.0327
17	Assistant Director Horticulture, PURNIA	7.3990	4.4394	2.9596	3.7248	2.4832	0.6659	0.4439	0.0487	0.0325
18	Assistant Director Horticulture, SAHARSA	7.3630	4.4178	2.9452	3.7067	2.4711	0.6627	0.4418	0.0485	0.0323
19	Assistant Director Horticulture, SAMASTIPUR	7.4130	4.4478	2.9652	3.7318	2.4879	0.6672	0.4448	0.0488	0.0325
20	Assistant Director Horticulture, SARAN	7.3630	4.4178	2.9452	3.7067	2.4711	0.6627	0.4418	0.0485	0.0323
21	Assistant Director Horticulture, SEOHAR	6.9890	4.1934	2.7956	3.5184	2.3456	0.6290	0.4193	0.0460	0.0307
22	Assistant Director Horticulture, SHEIKHPURA	7.4130	4.4478	2.9652	3.7318	2.4879	0.6672	0.4448	0.0488	0.0325
23	Assistant Director Horticulture, SITAMARHI	7.4130	4.4478	2.9652	3.7318	2.4879	0.6672	0.4448	0.0488	0.0325
24	Assistant Director Horticulture, SIWAN	6.9890	4.1934	2.7956	3.5184	2.3456	0.6290	0.4193	0.0460	0.0307
25	Assistant Director Horticulture, SUPAUL	6.9890	4.1934	2.7956	3.5184	2.3456	0.6290	0.4193	0.0460	0.0307
26	Assistant Director Horticulture, VAISHALI	7.4130	4.4478	2.9652	3.7318	2.4879	0.6672	0.4448	0.0488	0.0325
27	Assistant Director Horticulture, W. CHAMPARAN	7.4490	4.4694	2.9796	3.7500	2.5000	0.6704	0.4469	0.0490	0.0327
	Total :	**196.240**	**117.744**	**78.4960**	**98.7907**	**65.8605**	**17.6616**	**11.7744**	**1.2917**	**0.8611**

विजय कुमार पंडित